न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

(3)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–02/19–20

मोहन मिस्त्री पिता–स्व0 मिठु मिस्त्री, मो0–बगानपाड़ा, जिला–दुमका एवं अन्य

वनाम

पुतुल देवी पति–स्व0 देवानन्द मिस्त्री, रवि कुमार शर्मा एवं अन्य बगानपाड़ा, दुमका जिला–दुमका

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–02/19–20 मोहन मिस्त्री पिता–स्व0 मिठु मिस्त्री, मो0–बगानपाड़ा, जिला–दुमका के द्वारा पुतुल देवी पति–स्व0 देवानन्द मिस्त्री, रवि कुमार शर्मा एवं अन्य, बगानपाड़ा, दुमका जिला–दुमका के विरूद्ध अंचल अधिकारी दुमका के नामान्तरण वाद सं0–83/04–05 एवं 66/11–12 में क्रमशः 29.06.04 एवं 31.05.2011 के विरूद्ध दायर किया गया है। जो मौजा–दुमका टाउन 7, बसौड़ी दाग संख्या–1353, खाता सं0–8/7, रकवा–7 कट्ठा 16 धुर से संबंधित है।

अपीलकर्ता द्वारा अपने आवेदन में वंशावली अंकित करते हुए अपने को खतियानी रैयत का वंशज बताया गया है । खतियानी रैयत के मृत्यू के पश्चात् उनके चार पुत्र के द्वारा जमीन एवं मकान का बंटवारा 1/4 अंश में किया गया जिसमें प्रत्येक को 1 कट्ठा 19 धुर जमीन प्राप्त हुआ।

अपीलार्थी अपने आवेदन में वर्णित किया है कि पुतुल देवी पति–देवानन्द मिस्त्री एवं अन्य के द्वारा विवाद प्रारंभ किया गया तदोपरांत आवेदक द्वारा पाया गया कि विपक्षी एवं उनके पुत्र के द्वारा गलत तरिके से 3 कट्ठा 4 $^{1/2}$ धुर जमीन नामान्तरण वाद सं0–83/04–05 दिनांक–29.06.2004 एवं नामान्तरण वाद सं0–66/11–12 दिनांक–03.05.2011 से अपीलार्थी के हिस्से की जमीन एवं मकान अपने नाम करा लिया। अपीलकर्ता का कहना है कि अंचलाधिकारी द्वारा बिना जाँच किये विपक्षी का नामान्तरण किया गया है।

अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला हक एवं अधिकार से संबंधित है। अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

4/7/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।

4/7/2021

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
दुमका।

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2021.10.24 22:19:43 +05:30
Location: 192.168.225.52